राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9393/2019

संदीप पांडे पुत्र स्वर्गीय श्री काशीनाथ पांडे, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी नटराज सिनेमा के पास, मणि विहार, वार्ड संख्या 44, झुंझुनू (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलक्टर, झुंझुनू।
3. सहायक खनि अभियंता (वसूली), खनन एवं भूविज्ञान विभाग, झुंझुनू।
4. जय प्रकाश पुत्र श्री पवन कुमार, प्रोपराइटर मै. जे.पी. स्टोन क्रेशर, निवासी दादाबाड़ी के पास, तहसील झुंझुनू।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री निर्मल कुमार गोयल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री जय वर्धन सिंह शेखावत, अधिवक्ता के साथ मेजर आर.पी. सिंह, एएजी

श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

26/05/2022

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2015 के आदेश को चुनौती देते

हुए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता और रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ वसूली के संबंध में कुर्की आदेश जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण के खिलाफ स्टोन क्रशर के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने और याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित स्टोन क्रशर से संबंधित अपने कार्यों को करने के लिए ट्रांजिट पास जारी करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 (संक्षेप में "1959 के नियम") के तहत प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में दिनांक 17.08.2002 का पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने जे.पी. स्टोन के नाम पर स्टोन क्रशर की स्थापना की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित 'एनओसी' भी प्राप्त कर ली।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने उपरोक्त आवंटित भूमि और स्टोन क्रशर, धर्म कांटा, जेसीबी मशीन, मशीनरी लिखत आदि याचिकाकर्ता को दिनांक 18.03.2015 के एक समझौते के माध्यम से बेच दिए।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त बिक्री के समय, प्रत्यर्थी संख्या 4 और याचिकाकर्ता के बीच यह सहमति हुई थी कि जेसीबी के लिए मासिक ऋण किस्त याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जानी थी और 18.03.2015 से पहले की सभी बकाया राशि का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा भुगतान किया जाना था।

याचिकाकर्ता ने, दिनांक 18.03.2015 को बिक्री/समझौते के बाद, अपने पक्ष में लीज डीड के हस्तांतरण के लिए जिला जिलाधीश, झुंझुनू के समक्ष एक आवेदन दायर किया और तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात जिला जिलाधीश, झुंझुनू ने दिनांक 08.12.2015 के आदेश के तहत स्थानांतरण की अनुमति दी।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदा गया स्टोन क्रशर

चालू था और अचानक याचिकाकर्ता को पता चला कि क्रशर और मशीनरी की कुर्की प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई है और जब याचिकाकर्ता ने पूछताछ की, तो उसे पता चला कि कुर्की वारंट दिनांक 09.12.2015 का था। जे.पी. क्रशर के नाम से चलाए जा रहे स्टोन क्रशर को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिकाओं में यह भी बताया है कि वह इस तरह की कुर्की के कारणों को जानना चाहता था और उसे पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अवैध खनन किया गया है और 7 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूली योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 4 से और इस प्रकार, विषय भूमि सहित चल और अचल संपत्ति, जिस पर जे.पी. स्टोन क्रशर स्थापित किया गया था, कुर्क की गई थी।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी अधिकारियों से संपर्क किया और जब उसके अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को स्टोन क्रशर संचालित करने और ट्रांजिट पास जारी करने की अनुमति देने के लिए एक विधिक नोटिस भी दिया।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलील दी है :-

1. स्टोन क्रशर और मशीनरी की खरीद के समय, याचिकाकर्ता ने चल संपत्ति खरीदी थी और इस प्रकार, उसके पूर्व मालिक अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 4 की किसी भी चल संपत्ति पर कोई बकाया नहीं था।

2. सक्षम प्राधिकारी, अर्थात, जिला जिलाधीश, झुंझुनू ने दिनांक 08.12.2015 को आदेश जारी किया, जिसमें 1959 के नियमों के अनुसार भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दी गई और एक बार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दे दी गई तो किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

3. याचिकाकर्ता, को एक वास्तविक क्रेता होने के नाते, उसके पूर्ववर्ती के किसी भी बकाया के

लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और यदि अधिकारियों के अनुसार कोई कार्रवाई की जानी है, इसे प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ भी की जा सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता को हस्तांतरित चल संपत्ति कुर्की का विषय नहीं हो सकती।

4. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में '1882 का अधिनियम') की धारा 8 के अनुसार, हस्तांतरणकर्ता के हितों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है और जिस भी क्षमता में, हस्तांतरणकर्ता ने संपत्ति अर्जित की है, ऐसे हस्तांतरणकर्ता यदि उसके विरुद्ध संपत्ति का कोई बकाया है तो उसे भूमि हस्तांतरित करने वाले से वसूल नहीं किया जा सकता।

5. यदि अधिकारी, याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, तो इसका उपाय यह था कि भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत प्रदत्त शक्तियों का लाभ उठाया जाए और सीधे कुर्की का आदेश पारित किया जाए, जो कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभाग के पास चल संपत्तियों के खिलाफ कोई ग्रहणाधिकार या आरोप नहीं था और चूंकि याचिकाकर्ता ने केवल चल संपत्तियां खरीदी थीं, इसलिए कुर्की आदेश जारी नहीं किया जा सकता था।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह ने दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं :

(i) रिट याचिका में चुनौती दिया गया आदेश 28 दिसंबर, 2015 को जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने 20 मई, 2019 को अर्थात साढ़े तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।

(ii) इस न्यायालय ने 01.06.2019 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत राज्य प्रत्यर्थी को चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण करने का निर्देश दिया गया और प्रत्यर्थी-राज्य को याचिकाकर्ता के उक्त दावे पर आदेश दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्णय लिया गया याचिकाकर्ता ने न तो रिट याचिका में संशोधन किया

है और न ही वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 25.06.2019 के आदेश को चुनौती दी है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के गुणागुण के आधार पर कहा कि जिस समझौते के तहत प्रत्यर्थी संख्या 4 को पट्टा/पट्टा आवंटित किया गया था, उसमें शर्त संख्या 7 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि पट्टा धारक को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पट्टे का हस्तांतरण नहीं करना है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक समझौते को निष्पादित करते समय, उसके पक्ष में निष्पादित समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और इस प्रकार, विलेख दिनांक 17.08.2002 याचिकाकर्ता के पक्ष में बहुत ही स्थानांतरण, पट्टे की शर्तों के खिलाफ है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जिसने 18.03.2015 को अपने पक्ष में समझौता प्राप्त किया था, ने आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के तथ्य का प्रकटन किए बिना जिला जिलाधीश के समक्ष आवेदन किया, क्योंकि कोई पूर्व अनुमति नहीं मांगी गई थी और याचिकाकर्ता ने वसूली के तथ्य को भी छुपाया जो प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध, जो वर्ष 2014 में ही शुरू की गई थी।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण की कुर्की की कार्रवाई अचानक नहीं की गई थी और कुर्की के आदेश पारित करने से पहले, प्रत्यर्थीगण ने 20 अक्तूबर, 2015 को तहसीलदार, झुझुनू को पत्र जारी किया था, जिसके तहत 7,92,98,270/- रुपये की वसूली के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 से उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों के संबंध में विवरण मांगा गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 09.12.2015 को जिला जिलाधीश को सहायक खनन अभियंता, झुंझुनू द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके खिलाफ राशि बकाया थी। प्रत्यर्थी संख्या 4 और उक्त व्यक्ति ने भूमि हस्तांतरित कर दी थी याचिकाकर्ता के पक्ष में अन्य चल संपत्तियाँ थीं और इस प्रकार, कार्रवाई करने के लिए आवश्यक आदेश की आवश्यकता थी।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब यह तथ्य जिला जिलाधीश, झुंझुनू के संज्ञान में लाया गया, तो जिला जिलाधीश ने याचिकाकर्ता को भूमि हस्तांतरण की अनुमति देने के आदेश को वापस ले लिया और ऐसा आदेश 03.10.2019 को पारित किया गया, जो कि जारी किया गया है जो अनुलग्नक आर-1 के रूप में रिकॉर्ड में संलग्न है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 ने वर्ष 2002 में किए गए आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया था और उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ वसूली के तथ्य का प्रकटन नहीं किया था, जिला जिलाधीश, झुंझुनू ने दिनांक 03.10.2019 के आदेश द्वारा अनुमति वापस ले ली है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर समझौते के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में न केवल स्टोन क्रशर और कुछ मशीनें हस्तांतरित की गईं, बल्कि जमीन भी याचिकाकर्ता को दे दी गई और इस तरह, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि चूंकि उसे केवल चल संपत्ति मिली है, इसलिए संबंधित भूमि को कुर्क करने का कोई अधिकार नहीं बनता है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की देनदारी निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का ध्यान रखा गया है और दिनांक 25.06.2019 का आदेश जारी किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई थी क्योंकि एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6028/2012 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 24.12.2014 को एक समिति का गठन किया गया था। दिसंबर, 2014 में ही पाया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के शीर्षक में पूर्ववर्ती अवैध खनन में लिप्त था और इस तरह, उन्हें और प्रत्यर्थी को पहला नोटिस 06.04.2015 को दिया गया था संख्या 4 ने यह भलीभांति जानते हुए कि उसके खिलाफ वसूली की जा रही है, वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ साजिश रचकर जमीन और अन्य चल संपत्तियों को

याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो चीजें सीधे नहीं की जा सकतीं, वे याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 की मिलीभगत से अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही हैं और इस तरह, यह अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड- डिक्री होल्डर बनाम योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - जजमेंट डेटर (ई.ए. (ओएस) संख्या 169/2013 प्रदर्श पी. संख्या 322/2012 में) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, मेसर्स सुप्रीम पावर इक्विपमेंट (पी) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीपेरंबुदूर असेसमेंट सर्कल, वरदराजपुरम (डब्ल्यूपी संख्या 11141/2007) के साथ-साथ वन्नारक्कल कल्लालाथिल श्रीधरन बनाम चंद्रमथ बालकृष्णन (सिविल अपील संख्या 1349/1990) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत लिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

उक्त निर्णयों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई व्यक्ति कुर्की के आदेश से पहले संपत्ति बेचता है तो सीपीसी की धारा 64 के अनुसार, संविदात्मक दायित्व को कुर्की करने वाले लेनदार के अधिकारों पर हावी होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस क्रशर को खरीदा गया है, संयंत्र या भूमि से जुड़ा हुआ होता है और वह नहीं कहा जा सकता और वह चल संपत्ति है और इस प्रकार, कोई कुर्की आदेश पारित नहीं किया जा सका।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

यह न्यायालय बाद में प्रारंभिक आपत्तियों आकलन करेगा, हालाँकि, मुख्य तर्कों पर, यह न्यायालय अपना निष्कर्ष दर्ज करता है:

इस न्यायालय ने पाया कि प्रारंभ में, प्रत्यर्थी संख्या 4 और जिला जिलाधीश के बीच दिनांक 17.08.2002 के पट्टा विलेख के माध्यम से एक पट्टा निष्पादित किया गया था।

पट्टे की शर्तों पर गौर करने पर, इस न्यायालय ने पाया कि पट्टा धारक को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भूमि हस्तांतरित करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था।

इस न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किया गया कोई भी स्थानांतरण, जैसाकि लीज डीड में निर्धारित है, कानून की नजर में अवैध है और इसे वैध हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है।

इस न्यायालय ने लीज डीड के अवलोकन पर आगे पाया कि लीज धारक को जमीन के टुकड़े पर स्टोन क्रशर चलाने का अधिकार दिया गया था, अर्थात 19 बीघे और 9 बिस्वा में से 2 बीघे की माप और यदि स्टोन क्रशर के साथ जमीन थी राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर भूमि दी गई, इस न्यायालय द्वारा यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता के स्वामित्व में पूर्ववर्ती ने केवल चल संपत्तियों को हस्तांतरित किया है और याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अधिकार हस्तांतरित नहीं किया गया है।

इस न्यायालय ने, प्रत्यर्थी संख्या 4 और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित समझौते के अवलोकन पर पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के शीर्षक में पूर्ववर्ती ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उस भूमि पर स्टोन क्रशर चालू था, जो प्रत्यर्थी संख्या 4 को आवंटित किया गया था। और आगे, स्टोन क्रशर चलाने का अधिकार याचिकाकर्ता को दिया गया।

इस न्यायालय ने पाया कि जिला जिलाधीश ने 08.12.2015 को याचिकाकर्ता को 1959 के नियमों के अनुसार अनुमति दी थी, हालांकि, बकाया राशि और लीज डीड की शर्तों के उल्लंघन के तथ्य को किसी भी पक्ष द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया था।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 08.12.2015 का उक्त आदेश बाद में उत्तर के साथ रखे गए एक आदेश दिनांक 03.10.2019 (अनुलग्नक आर-1) द्वारा वापस ले लिया गया है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसे पहले से ही उसके द्वारा किए गए अवैध खनन और उसके खिलाफ वसूली प्रभावित होने के बारे में सूचित किया गया था, ने राज्य सरकार को बकाया भुगतान से बचने के लिए याचिकाकर्ता के साथ कोई समझौता किया है। इसे विधिक लेनदेन नहीं कहा जा सकता। यदि यह न्यायालय इस प्रकार के लेनदेन की अनुमति देगा, तो यह ऐसे किसी भी लेनदेन पर अनुमोदन की मुहर लगाने के समान है, जो सरकार को बकाया भुगतान से बचने के लिए किया जाता है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दायित्व/दावे का निर्धारण अंतरिम आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया था और अंततः 25.06.2019 को एक आदेश पारित किया गया था।

इस न्यायालय को यह समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि न तो इस आदेश को चुनौती दी गई है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रत्युत्तर दायर किया गया है और दिनांक 25.06.2019 के आदेश के सामने, यह न्यायालय यह विचार नहीं कर सकता है कि वसूली की कार्यवाही/कुर्की की कार्यवाही, के खिलाफ शुरू की गई है याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 को अवैध तरीके से लिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि याचिकाकर्ता एक स्टोन क्रशर का वास्तविक खरीदार है और कुछ अन्य चल संपत्तियाँ थीं और ऐसी किसी भी संपत्ति पर कोई बकाया/ग्रहणाधिकार नहीं था और इस तरह, जिला जिलाधीश के समक्ष किसी भी प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसे पहले ही खनन विभाग द्वारा उसकी बकाया राशि के बारे में सूचित किया जा चुका है, को चाहिए याचिकाकर्ता को संपूर्ण तथ्यों का स्पष्ट रूप से प्रकटन करने के लिए और इसके अलावा याचिकाकर्ता को यह भी पूछताछ करने की आवश्यकता थी कि क्या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के खिलाफ कोई बकाया है, याचिकाकर्ता केवल यह कहकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया कि ऐसा कोई बकाया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि अधिकारियों को भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता थी और उनकी पूरी कार्यवाही कानून की नजर में दोषपूर्ण है, इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 साथ ही याचिकाकर्ता को वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और इसके अलावा, वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए तहसीलदार और जिला जिलाधीश को पत्र जारी किए गए हैं और यदि राज्य सरकार का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, तो विभाग द्वारा कुर्की सही है।

वन्नारक्कल कल्लाथिल श्रीधरन (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता, इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय सीपीसी और आदेश 38 नियम 10 के तहत निहित प्रावधान पर विचार कर रही थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद राज्य सरकार के बकाए के संबंध में नहीं था, जिसे अधिकारियों द्वारा वसूलने की मांग की गई थी। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की अल्प सहायता करेगा।

सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - डिक्री होल्डर (सुप्रा.) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया, फिर से एक ऐसा मामला था जहां डिक्री धारक ने धारा के तहत निष्पादन याचिका दायर की थी मध्यस्थता न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47, डिक्री धारक के अधिकार का निर्णय करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उस मामले में हॉट मिक्स प्लांट और क्रशर प्लांट को एक संपत्ति के रूप मेंज नहीं माना गया। उक्त निर्णय से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को भी कोई सहायता नहीं मिली।

यह न्यायालय अब रिट याचिका दायर करने में हो रही देरी के बारे में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करता है। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को किसी व्यक्ति द्वारा राज्य अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ

लागू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा/सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि रिट याचिका किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार दायर की जा सकती है। जब मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है या राज्य अधिकारियों के खिलाफ आसन्न निर्देश मांगा जाता है तो रिट क्षेत्राधिकार को तुरंत लागू किया जा सकता है। रिट याचिका पर विचार न करने के लिए न्यायालय के पास जाने में देरी और ढिलाई बहुत महत्वपूर्ण कारक है।

इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, कुर्की का आदेश 28.12.2015 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता ने साढ़े तीन वर्ष बाद रिट याचिका दायर की है। इस न्यायालय ने मामले के वर्तमान तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है और अपनी रिट याचिका में बताया कि नोटिस देने के बाद भी न्याय की मांग दिनांक 20.05.2017, साढ़े तीन वर्ष की देरी के बाद रिट याचिका कैसे दायर की गई है।

वर्तमान मामले में तथ्यों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता सही समय पर इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए पर्याप्त सतर्क नहीं था और साढ़े तीन वर्ष की देरी के बाद रिट याचिका दायर करने की भी अनुमति नहीं है।

इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण और याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने में हुई तीन वर्ष से अधिक की देरी पर विचार करने के बाद, रिट याचिका में कोई बल नहीं पाया और इसे अपास्त कर दिया गया।

इस न्यायालय द्वारा 01.06.2019 को पारित अंतरिम आदेश अपास्त किया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Bhavnesh/707

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।